



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 4-2023]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 24 जनवरी, 2023
(4 माघ, 1944 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग—I	अधिनियम	
	कुछ नहीं।	
भाग—II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग—III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 1/के०आ० 61/1985/धा० 36/2023, दिनांक 23 जनवरी, 2023 —जिला अम्बाला, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा पानीपत में छह अनन्य फास्ट ट्रैक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ विशेष न्यायालयों की स्थापना करने वारे और अपर सत्र न्यायाधीश, जिला अम्बाला, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा पानीपत को उक्त न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने वारे।	11—12
भाग—IV	शुद्धि—पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग—III**हरियाणा सरकार****न्याय प्रशासन विभाग****अधिसूचना****दिनांक 23 जनवरी, 2023**

संख्या का०आ० 1 /के०आ० 61 /1985 /धा० 36 /2023.— हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 44 /के०आ० 61 /1985 /धा० 36 /2012, दिनांक 14 जून, 2012 के निरन्तर में, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का कन्द्रीय अधिनियम 61) की धारा 36 की उप—धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र प्रिवारण के प्रयोजन हेतु जिला अम्बाला, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा पानीपत में छह अनन्य फास्ट ट्रैक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ विशेष न्यायालयों की स्थापना करते हैं।

आगे, उपरोक्त अधिनियम की धारा 36 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा माननीय मुख्य न्यायाधीश, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की सहमति से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अपर सत्र न्यायाधीश, जिला अम्बाला, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा पानीपत को उक्त न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करते हैं।

टी० वी० एस० एन० प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT
Notification

The 23rd January, 2023

No. S.O. 1/C.A. 61/1985/S. 36/2023.— In continuation of the Haryana Government, Administration of Justice Department, notification No. S.O. 44/C.A.61/1985/S. 36/2012, dated the 14th June, 2012 and in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Central Act 61 of 1985), the Governor of Haryana hereby establishes six exclusive Fast Track Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Special Courts at districts Ambala, Hisar, Kaithal, Karnal, Kurukshetra and Panipat for the purposes of speedy trial of offences under the said Act.

Further, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 36 of the aforesaid Act and with the concurrence of the Hon'ble Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, the Governor of Haryana, hereby appoints the Additional Session Judges at districts Ambala, Hisar, Kaithal, Karnal, Kurukshetra and Panipat as the Judges of the said Courts.

T. V. S. N. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.